"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2009—कार्तिक 9, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2009/3764.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्रों के संबंध में आदेश संख्या 3/4/आई. डी./2009/एस.डी.आर (छत्तीसगढ़), दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009

आदेश

सं.: 3/4/आई. डी./2009/एस.डी.आर (छत्तीसगढ़).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, तांकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों के लिए अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

2. यत:, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक-पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

3. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किये गये हैं उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यत:, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है, वहां दोनों को ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यत:, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यत:, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छुटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए, निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों के अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किए हैं ; और

7. यत:, छत्तीसगढ़ में निर्वाचकों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी है और जारी कर दी गई है; और

8. यत:, जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक सभी साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके ; और

9. अत:, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 66-वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन में से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित हुआ था, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओं को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी हो चुका है, को इन पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा. यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :—

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स.

(iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन)

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र.

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, डाकघरों द्वारा 30-9-2009 तक खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त पासबुक.

(vi) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र.

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-9-2009 तक जारी फोटोयुक्त अ. जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र.

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30-9-2009 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र.

(ix) 30-9-2009 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस.

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 30-9-2009 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड.

(xi) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि

(xii) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (30-9-2009 तक जारी).

(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय 30-9-2009 तक जारी).

(xiv) फोटोयुक्त भू-अधिकार एवम् ऋण पुस्तिका.

10. परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.